

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुरपीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.प्रकरण संख्या 11/2015 (उदयपुर आर्डर)

1. भंवरसिंह पिता उदयसिंह जी राजपूत, निवासी भगवानपुरा, पटवार सर्कल आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोविन्दसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राजपूत, निवासी भगवानपुरा, पटवार सर्कल आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. लालू पिता नवला जी भील, निवासी पटवार क्षेत्र आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. माधू पिता नवला जी भील, निवासी पटवार क्षेत्र आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व

अधिनियम - 1956 विरुद्ध निर्णय जिला

कलक्टर उदयपुर दिनांक 24-03-2015

प्रकरण संख्या 2/2014 आवंटन निरस्ती

----/----

उपस्थित(वक्तबहस):- 1- श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्तगण

2- श्री डी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पोंडेन्टगण

-----::-----

निर्णयदिनांक 17-09-2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोंडेन्ट/विपक्षीगण के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लालू विपक्षी संख्या 1 मकान की चुनाई में मजदूरी का काम करता था, वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था तथा उप जिला कलक्टर के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, वह अधूरा था। उसने केवल 5 बीघा भूमि का आवंटन मांगा था, जबकि उसे आराजी नंबर 1152 में 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आवंटन फार्म पर निशानी लालू की नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति की है। आवंटन पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं हुई है। आवंटनी का मौके पर कब्जा नहीं है। आवंटनी ने एक दिन भी काश्त

नहीं की है, बल्कि इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर उसके पशु चरते हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है तथा मिली भगत से उक्त आवंटन प्राप्त किया गया है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय किया है। जब विपक्षी संख्या 2 मौके पर जे.सी.बी. लेकर आये एवं कहा कि जमीन मेरे खाते हो गयी है, मैंने जमीन खरीद ली है, तुम कब्जा हटा लो। तब प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। आवंटन धोखे एवं मिस रिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है तथा आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। विपक्षी/आवंटी सद्भावी काश्तकार नहीं है तथा उसने कभी काश्त नहीं की है। निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण सवर्ण जाति के होकर प्रभावशाली लोग हैं, जो भूमियों के लेन-देन का कारोबार करते हैं, जिन्होंने विवादित भूमि को क्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी संख्या 1 ने मना कर दिया एवं इसके बाद अपने परिचित विपक्षी संख्या 2 को भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया। विपक्षी को वर्ष 1977 में आवंटन होकर उसे पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया है तब से मौके पर विपक्षी काबिज चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 अनुसूचित जाति का सीधा साधा व्यक्ति है इस कारण आवेदन की विशिष्टियों में तकनीकी कमी हो सकती है, केवल मात्र इस वजह से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन विधि अनुरूप हुआ है एवं आवंटन सलाहकार की समिति द्वारा दिनांक 15-10-1977 को विधिवत आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा मौके पर न तो जे.सी.बी. मशीन चलायी गयी, न ही हस्तगत भूमि पर कभी प्रार्थीगण का कब्जा रहा। आवेदन में हुई तकनीकी त्रुटि कोई महत्व नहीं रखती है।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24-03-2015 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19-05-2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्टगण की ओर से वकील श्री डी. एस. शक्तावत उपस्थित

हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अधिनस्थ न्यायालय में आवंटी द्वारा नियमानुसार आवेदन पेश नहीं किया गया है। आवंटी मकान चुनाई का काम करता है तथा भूमि काश्तकार नहीं है। आवंटन केवल 5 बीघा भूमि का चाहा गया था, जबकि आवंटन 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि का किया गया है। पटवारी द्वारा त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट की गयी है। आवंटन धोखा धड़ी से प्राप्त किया गया है तथा आवंटन पत्र पर आवंटी की अंगूठा निशानी नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति की अंगूठा निशानी है। आवंटन पूर्ण उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है तथा आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। आवंटी का कब्जा नहीं है तथा उसके द्वारा एक भी दिन काश्त नहीं की गयी है। आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। फर्द अहकाम पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन मिस रिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है। अतएवं आवंटन निरस्त किया जाना वांछनीय है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये हैं :-

(1) आवंटी के आवेदन पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है।

आवंटन पत्र देखने से यह सुस्पष्ट है कि आवेदन पत्र पर आवंटी लालू की अंगूठा निशानी है, तदनुसार अपीलान्ट का यह उजर कि आवंटन पत्र पर आवंटी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है, समायत योग्य नहीं है।

(2) आवंटन पत्र पर तारीख अंकित नहीं की गयी है तथा अन्य प्रविष्टियां उसके द्वारा नहीं की गयी है।

यह समस्त आवेदन पत्र के उजरात तकनीकी उजरात हैं, आवंटन के 37 वर्षों बाद इस प्रकार के उपरात उठाये जाने का कोई महत्व नहीं है।

- (3) अपीलान्ट/प्रार्थी का अन्य उजर यह है कि पटवारी द्वारा रिपोर्ट त्रुटि पूर्ण की गयी है।

हमारे द्वारा पटवारी की रिपोर्ट जो मौतबीरान की उपस्थित में बनायी गयी है, का अवलोकन किया गया है, जिसमें पटवारी ने 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन होना बताते हुए उक्त भूमि पैमूद की जाकर कब्जा आवंटी को संभलाया गया है। तदनुसार पटवारी रिपोर्ट को त्रुटि पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

- (4) आवंटी द्वारा 5 बीघा भूमि का आवेदन किया गया, परन्तु उसे 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गयी।

हमारे द्वारा आवंटन सलाहकार की अनुशंषा का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त आवंटन पर आवंटन सलाहकार समिति के कुल 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होकर उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं, तदनुसार आवंटन के समय कोरम पूर्ण नहीं हो अथवा आवंटन त्रुटि पूर्ण किया गया हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह भी अमान्य है कि उसके द्वारा 5 बीघा भूमि की ही मांग की गयी है, परन्तु एक खसरा नंबर यदि पूरा आवंटित किया जा सकता है तथा प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे आवंटन नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 18-10-1977 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया है, जो मौतबीरान के समक्ष किया गया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15-10-1977 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटन किये जाने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं की गयी है।

- (5) अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि आवंटन पूर्व उद्घोषणा नहीं की गयी है।

आवंटन पूर्व उद्घोषण जारी नहीं की गयी हो, यह तथ्य अपीलान्त/प्रार्थी के भार सिद्ध था, जिस बाबत उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदनुसार अपीलान्त का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

- (6) अपीलान्त का अन्य उजर यह है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है।

पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध जिन्स गिरदावरी संवत् 2036 से 39, 2039 से 2042, 2057 से 2060, 2061 से 2064 एवं 2065 से 2068 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि संवत् 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065 व 2066 में आवंटी द्वारा काश्त की गयी है, तदनुसार आवंटी द्वारा हालांकि विलम्ब से काश्त की गयी है, परन्तु आवंटन के 37 वर्षों बाद इस प्रकार के उजरात की कोई उपादेयता नहीं है, जबकि आवंटी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में आवंटन के 37 वर्षों बाद आवंटन की पालना नहीं किये जाने बाबत अपीलान्त के उजरातों की कोई महत्ता नहीं रहती है। वर्तमान में तो नये नियमों में आवंटन के संबंध में काश्त किये जाने के प्रावधान हैं, परन्तु पूर्व में हुए आवंटन पर इन प्रावधानों को लागू किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। हम इस प्रकरण में अपीलान्त का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं पाते हैं तथा यह पाते हैं कि वह अतिक्रमी होकर इस भूमि पर अपने पशु चराने के कारण स्वयं को व्यथित होना बताता है। अपीलान्त स्वयं को अतिक्रमी मानता है एवं अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त होकर उसके द्वारा भूमि का विक्रय भी किया जा चुका है, जिसके बरूए हम प्रार्थी/अपीलान्त का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं पाते हैं। तदनुसार अपीलान्त का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

वकील अपीलान्त द्वारा समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :-

- (I) आर.आर.डी. 1977 पेज 617 व आर.आर.डी. 1994 पेज 764

हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त न्यायिक नजीरें प्रमुखता उन महत्वपूर्ण आधारों पर आवंटन निरस्त किये जाने से संबंधित हैं, जहां आवंटन फ़ोड या मिस रिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया हो। यहां पर आवंटन की पात्रता बाबत कोई संशय नहीं है, तदनुसार यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(II) आर.आर.डी. 1975 पेज 340 व आर.आर.डी. 1982 पेज 496

उक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती, क्योंकि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह नहीं सिद्ध करवाया गया है कि उद्घोषणा जारी नहीं हुई है।

(III) आर.आर.डी. 1982 पेज 237

यह न्यायिक नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि इन भूमियों पर कब्जा अपीलान्ट/प्रार्थी का होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(IV) आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1410 व आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 83

उक्त न्यायिक नजीरें भी वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वर्तमान में नवीन नियम 14 (3) के आलोक में अप्रसांगिक हैं, क्योंकि इस प्रकरण में हालांकि आवंटी द्वारा प्रथम वर्ष में काश्त नहीं की गयी है, परन्तु पश्चातवर्ती काश्त किये जाने की साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध है तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर जो काश्त किये जाने के आधार पर ही दिये जाते हैं, तदनुसार अब आवंटन के 37 वर्षों बाद तथा खातेदारी मिलने के बाद उसके द्वारा भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है। अतएवं अब उस शर्तों का इन नजीरों के आलोक में कोई महत्व नहीं है, तदनुसार हम ससम्मान यह व्यक्त करना चाहेंगे कि यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(V) आर.आर.डी. 2005 पेज 629 व सी.एल.टी. 2009 पेज 360 (H.C.)

यह दोनों नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है कि आवंटन सलाहकार समिति के कोरम पर 4 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें नरेन्द्रपालसिंह चौधरी के भी हस्ताक्षर हैं, जो विधायक होकर एक जनप्रतिनिधि के

रूप में उनके हस्ताक्षर हैं। तदनुसार कोरम पूर्ण नहीं हो, ऐसी स्थिति प्रकट नहीं आती है।

(VI) आर.आर.डी. 1993 पेज 311

आवंटन फार्म पर आवंटी द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाया जाना प्रकट नहीं होता है, तदनुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(VII) आर.बी.जे. 2007 पेज 492, आर.आर.डी. 2001 पेज 1, आर.बी.जे. 2014 पेज 120 व आर.बी.जे. 2000 पेज 547

आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना के सन्दर्भ में हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है, तदनुसार यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा विपक्षी/रेस्पॉन्डेन्ट का आवंटन खारिज करने के लिए 37 वर्षों बाद आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटित भूमि पर उसके पशु चरते हैं तथा आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गयी है तथा आवंटन शर्तों की उल्लंघना की गयी है। हम यह पाते हैं कि आवंटन विधि सम्मत हुआ है तथा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर आवंटी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा भूमि का विक्रय भी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में आवंटन को निरस्त किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है, तदनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24-03-2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17-09-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

